अंतरराष्ट्रीय गुजराती गैंग की चार महिलाएं गिरफ्तार

विधायकपुरी थाना पुलिस ने वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करने वाली चार महिलाओं को गिरफ्तार किया हैं।

- वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करती हैं महिलाएं
- बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदातों को अंजाम देती हैं

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करने वालीअंतरराष्ट्रीय गुजराती गैंग की एक ही परिवार की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामना आया है कि रेल्वे स्टेशन एवं कच्ची बस्ती में रहते हैं। जो दिनभर शहर में घूम कर रैकी करके ऑटो रिक्शा में अकेली महिला के साथ बैठकर ज्वैलरी व नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं और फिर दिल्ली एवं अहमदाबाद में जाकर वारदात के माल को ठिकाने लगाते हैं। इस गैंग ने माणकचौक, दूदू पुलिस थानों एवं अन्य थाना ईलाकों में दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपित महिलाओं से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि विधायकपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने वाली गुजराती गैंग की शातिर महिलाएं अंजनी उर्फ पंखुड़ी, सुशीला, पिंकी और वसन को गिरफ्तार किया है। चारों ही महिलाएं एक ही परिवार की है और गुजरात हाल खानाबदोश बेनाड रेलवे स्टेशन रहने वाली है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदात को देती हैं। अंजाम और फिर अपने पुरुष सहयोगियों के मार्फत दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर माल को बेच देती है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें देखने की आशंका जताई जा रही है।

रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में भूखंड आवंटन के लिये आवेदन मांगे

- योजना में राइजिंग राजस्थान एमओयू होल्डर्स के लिये करीब 7100 भूखंड आवंटन के लिये उपलब्ध

जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण में भूखण्ड आवंटन के लिये 15 मई से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024" के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए रीको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर आवंटित किये जायेंगे। 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिक के लिये 118, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 151 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं।

योजना में ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 28 मई है तथा ई-लॉटरी 5 जून को प्रस्तावित है। माह मार्च-2025 में प्रारंभ हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के प्रथम चरण में निवेशकों का अत्यधिक उत्साह देखा गया जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करेंगे। वह भी इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पूर्व लगभग चार माह में 2637 एमओयू निष्पादित हुए थे, परन्तु उक्त घोषणा के बाद 30 अप्रैल तक 1578 नए एमओयू निष्पादित हुए हैं। इस घोषणा के उपरांत एमओयू निष्पादन की तेजी से बढती संख्या से रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्ड प्राप्त करने में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।

माह मार्च- 2025 में योजना के प्रथम चरण में रीको ने 98 औद्योगिक क्षेत्रों (86 मौजूदा एवं 12 नए) में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध कराये थे। इस योजना में करीब 350 करोड रूपये के 98 भू खण्डों के लिये निवेशकों को आफर लेटर जारी किये गये एवं भूखण्ड आवंटन प्रक्रियाधीन है।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू होल्डर्स को रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखण्ड भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिये योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के जरिये अधिक से अधिक उद्यम राजस्थान में स्थापित करना है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवंटित इन भूखण्डों पर उद्योगों के स्थापित होने से राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

'दंत चिकित्सकों का परिवीक्षा काल अधिक क्यों?'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, प्रमुख वित्त सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव से पूछा है कि समान कार्य और पद होने के बावजूद दंत चिकित्सकों का परिवीक्षा काल मेडिकल ऑफिसर के मुकाबले दो साल का क्यों रखा गया है। अदालत ने इन अधिकारियों से यह भी बताने को कहा है कि दंत चिकित्सकों को परिवीक्षा काल में मेडिकल ऑफिसर के समान भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ प्रियंका सैनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी ने अदालत को बताया कि दंत चिकित्सक और मेडिकल ऑफिसर का एक समान पे-ग्रेड होता है। वहीं इन दोनों श्रेणियों के चिकित्सकों का नियोक्ता और सेवा शर्ते भी एक समान ही होती है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 3 दिसंबर, 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 28 में संशोधित कर मेडिकल ऑफिसर का परिवीक्षा काल दो साल के बजाए एक साल कर दिया। इसके पीछे राज्य सरकार का तर्क था कि मेडिकल ऑफिसर अपने एमबीबीएस कोर्स के दौरान ही एक साल की इंटर्नशिप कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा गया कि मेडिकल ऑफिसर और दंत चिकित्सकों की सभी सेवा शर्ते आदि समान हैं और दंत चिकित्सक भी अपनी पढ़ाई के बाद एक साल का इंटर्नशिप करते हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच परिवीक्षा काल को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब दंत चिकित्सक भी मेडिकल ऑफिसर के समान कार्य कर रहे हैं तो फिर उन्हें भी परिवीक्षा काल में मेडिकल ऑफिसर के समान भत्ता दिया जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

विक्रम सिंह धाकड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता बने

जयपुर। धाकड़ समाज के युवाओं को संगठित कर सामाजिक, शैक्षिणक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध श्री धाकड़ महासभा युवा संघ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शुक्रवार को विधिवत ऐलान किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र नागर के निर्देशों पर युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अर्जुन धाकड़ ने कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। घोषित कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर कुल 75 से अधिक युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकारिणी में 7 राष्ट्रीय महामंत्री, 8 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 18 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 12 राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और 10 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 पदाधिकारियों को राष्ट्रीय प्रसार-प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 1 पदाधिकारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यकारणी में दुर्गालाल नागर, अरुण नागर, प्रवीण धाकड़, शिवलाल धाकड़ और घनश्याम धाकड़ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूती देंगे। कार्यकारणी में निर्भय राम बाडोलिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन की वित्तीय संरचना को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। संगठन की नीति, विचार और सामाजिक संदेशों को देशभर में पहुंचाने के लिए पत्रकार विक्रम सिंह धाकड़ और राम अवतार नागर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। दोनों को मीडिया और संवाद मंचों पर संगठन का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्यकारिणी में माधोसिंह धाकड़, पुरुषोत्तम धाकड़ समेत अन्य को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है। संगठन विस्तार और अनुशासन को बनाए रखने के लिए संगठन मंत्रियों की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है।

मसाला मेले के लिये सहकारिता विभाग और कॉनफेड की सराहना

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी एवं संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का विजिट किया।

जयपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी एवं संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का विजिट किया। उन्होंने मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन कर देश-प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा विक्रय के लिए लाए गए मसालों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी ली। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल भी इस दौरान उपस्थित रहीं।

डॉ. भूटानी एवं श्री जैन ने वर्ष 2003 से निरन्तर राष्ट्रीय स्तर के मसाला मेले के आयोजन के लिए सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड की सराहना की। राजपाल ने उन्हें अवगत कराया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम पर मसाला मेले का आयोजन किया गया है। मेले में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों की सहकारी संस्थाओं के मसाले एवं अन्य उत्पाद 145 स्टॉल्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाये गए हैं। आगन्तुकों को मेले में एक ही छत के नीचे शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं। राजपाल ने बताया कि श्री अन्न के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेले में लगभग 25 स्टॉल्स पर ये उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके प्रति लोगों का खास रूझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से लोगों का सहकारी उत्पादों पर विश्वास बढ़ रहा है और सहकारी समितियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है। डॉ. भूटानी एवं जैन ने इस अवसर पर डेली लक्की ड्रॉ के तीन विजेताओं को गिफ्ट हैम्पर भी प्रदान किए।

संगठन की सफलता के प्रति समर्पण आवश्यक : बंठिया

जयपुर। सीआईआई-यंग इंडियंस अजमेर चैप्टर ने आज अभिनव बंठिया, प्रबंध निदेशक-मनु यंत्रालय प्रा. लि. के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। अपने संबोधन के दौरान, अभिनव बंठिया ने युवा उद्यिमयों को इस बात पर जोर दिया कि अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित करना किसी की भूमिका के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि संगठन की सफलता के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है।

सत्र के दौरान, साक्षी अग्रवाल, अध्यक्ष, वाई अजमेर चैप्टर ने साझा किया कि बंठिया के साथ ओपन डिसक्सन ने युवा उद्योग प्रतिनिधियों को उद्यमिता की यात्रा में आवश्यक चुनौतियों और प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

आर.टी.यू. के पूर्व कुलपति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक

- पांच लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से दर्ज की गई थी एफआईआर

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीयू, कोटा के पूर्व कुलपति राम अवतार गुप्ता के खिलाफ पांच लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश राम अवतार गुप्ता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में अभियोजन की मंजूरी राज्यपाल के सचिव ने 29 नवंबर 2024 को दी है। इसके लिए राज्यपाल की शक्तियों को हस्तांतरित किया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगाना उचित होगा।

याचिका में अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल ही कुलपति को नियुक्त करता है और उन्हें ही उसे हटाने की शक्ति होती है। राज्यपाल की शक्तियों को किसी अन्य को हस्तातंरित नहीं किया जा सकता। जबकि इस मामले में राज्यपाल के सचिव ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक प्रोफार्मा के आधार पर ही एसीबी को याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी। इसके अलावा मामले में राज्यपाल को स्वयं अपने विवेक से अभियोजन स्वीकृति पर फैसला करना था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में की जाने वाली समस्त कार्रवाई को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने राम अवतार गुप्ता को पांच लाख रुपए की रिश्वत के साथ 5 मई, 2022 को पकड़ा था। राम अवतार पर आरोप है कि एक निजी कॉजेल में छात्रों की सीट बढाने की एवज में यह रिश्वत ली गई थी। एसीबी को कुलपति के कमरे से लाखों रुपए की नकदी और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भी बडी धनराशि मिली थी।

सीवरेज व नालों की सफाई कराने के निर्देश

जयपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्टर सभाहगार में आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने जयपुर जिले के दुर्घटना सम्भावना वाले 118 ब्लैक स्पॉटर्स पर चल रहे स्थाई व अस्थाई प्रकृति के रेस्टोरेशन कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित रोड़ कट्स के कारण हो रही दुर्घटनाओ में कमी लाने के लिए रेक्टीफिकेशन कार्यो में शीघ्रता लाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलक्टर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गो पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए है ताकि रात्रि के समय प्रकाश न होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं मे कमी लाई जा सके।

जिला कलक्टर ने नगर निगम ग्रेटर एवं नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्रो में सीवरेज और नालों मे सफाई कार्ये कराने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर में बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार का जलभराव न हो। बचाव व राहत कार्यो के लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने जे.डी.ए. को उनके क्षेत्र में आ रही सड़कों के गड्डे भरने के निर्देश दिए ताकि बरसात के मौसम में गड्डों में पानी भरने के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओ से आमजन को बचाया जा सके। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मीणा, एडीशनल एस.पी. एन.एन.एच. जयपुर पुष्पेन्द्र सिंह, ए.सी.पी. डी.सी.पी. वेस्ट सुरेन्द्र कुमार, ए.सी.पी. कोतवाली उत्तर अनुप सिंह, ए.डी. सी.पी. ईस्ट के.के. अवस्थी, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग आर.के. सिंह, एस.ई. जे.डी.ए. मोहित चौधरी, एडीशनल डी.सी.पी साउथ पुनमचन्द विश्नोई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सहज, सरल मनोज माथुर हमेशा याद रहेंगे : वासुदेव देवनानी

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर फाउण्डेशन की ओर से आयोजित मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किये।

- देवनानी ने मनोज माथुर फाउन्डेशन को एक लाख रूपये दिये
- देवनानी ने मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किये

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के सहज, सरल व्यक्तित्व के धनी मनोज माथुर जैसे जागरूक पत्रकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय चले जाना हम सभी मित्रगण, पत्रकार और पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत कष्टकारी है। मनोज माथुर के आदर्शों के अनुरूप पत्रकार आगे बढ़ें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माथुर के लिए पत्रकारिता जौवन का आधार थी। देवनानी शुक्रवार को यहां नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर फाउण्डेशन द्वारा आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का शुभारम्भ किया। देवनानी ने मनोज माथुर फाउण्डेशन को एक लाख रुपये धनराशि उनकी और से दिये जाने की घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदान किये गये अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की। समारोह में मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया।

समारोह में देवनानी ने प्रिन्ट मीडिया में अवधेश आकोदिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महेश दाधीच और डिजिटल मीडिया में सौरभ भट्ट को मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी थे। स्व. मनोज माथुर की पत्नी सुलक्षणा माथुर ने अतिथिगण और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का पौधा भेंट कर अभिनन्दन किया। देवनानी ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। पत्रकार जगत से जुडे हुए उन्हें भी 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है। पत्रकार जगत सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की आजादी के समय भी पत्रकार जगत ने राष्ट्र में देश भक्ति की को जगाये रखा। उन्होंने कहा कि नारद पत्रकारिता के जनक थे। वे संवाद के संवाहक थे। देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर मिशन को पत्रकारों ने राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप प्रसारित किया, यह अभिन्दनीय है। देवनानी ने कहा कि आज भारत की विश्व में विशेष पहचान बनी है। भारत को बढ़ता हुआ अन्य देश नहीं देख पा रहे है। अन्य देशों की नजरों में भारत के प्रति खटखटाहट ही हमारे देश की ताकत है। नये भारत को श्रेष्ठ बनाने और उसे निरन्तर आगे बढ़ाने में सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका की महत्वूपर्ण भूमिका होती है। विधान सभा में नवीनता लाने के लिए श्रेष्ठ परिवर्तन करने का वे निरन्तर प्रयास कर रहे है। देवनानी ने इसके लिए पत्रकारों से सकारात्मक परामर्श देने के लिए कहा।

'एसएनए-स्पर्श के चरणबद्ध विकास एवं कार्यान्वयन में राजस्थान अग्रणी'

जयपुर। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निधि हस्तान्तरण की नवीन समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तान्तरण (एसएनए स्पर्श) के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शासन सचिवालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव ने नवीन प्रणाली में सफलतापूर्वक हस्तान्तरण किए जाने के लिए राजस्थान की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को भी राजस्थान की तर्ज पर उनके प्रदर्शन में सुधार लाने का सुझाव दिया।

छात्रवृत्ति में समस्या के त्वरित समाधान के लिए बेहतर समन्वय से काम करें : बचनेश अग्रवाल

जयपुर। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा छात्र-छात्राओं को तय समयावधि में छात्रवृति उपलब्ध कराने की है। इसमें होने वाले विलंब या समस्या के समाधान के लिए संस्था प्रधान और विभागीय अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ काम कर छात्र-छात्राओं को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अग्रवाल ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में जिले के लगभग 50 सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर छात्रवृति प्रक्रिया को आसान बनाने और छात्र-छात्राओं को प्रक्रिया समझाने और उचित परामर्श के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान या विद्यार्थी स्तर से समय पर आवेदन विभाग को अग्रेषित नहीं किए जाने, विद्यार्थियों द्वारा संस्थान में बायोमैट्रिक नहीं किए जाने, विद्यार्थी द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने संबंधी समस्याओं को सुना और अधिकरियों को इनके त्वरित समाधान के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने कहा समस्त संस्था प्रभारी संस्थान स्तर पर छात्रवृत्ति संबंधी कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें तथा एक कलैंडर तैयार कर छात्रवृत्ति का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के आवेदनों पर लगने वाले आक्षेपों के निस्तारण के संबंध में एक एसओपी बनाई जाए तथा जिन विद्यार्थियों द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं की जा रही है या बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है उनको व्हाट्सएप, दूरभाष या नोटिस चस्पा कर शीघ्र आक्षेप पूर्ति करवाएं।

वायु सैन्य अधिकारी पत्नी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने का आदेश

- परिवादी अभिनव जैन के परिवाद पर अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिये

जयपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 महानगर प्रथम ने वायु सैन्य अधिकारी पत्नी सहित उसके परिजनों के खिलाफ प्रताप नगर थाना पुलिस को दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश अभिनव जैन के परिवाद पर दिए।

परिवादी के अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत परिवादी और वायु सैन्य अधिकारी का विवाह फरवरी, 2022 में हुआ था। तब परिवादी तलाकशुदा और वह एयरफोर्स ऑफिसर की विधवा थी। पूर्व पति से उसके एक बेटा भी हुआ था। जिसके पालन पोषण के लिए उसे पेंशन के रूप में अलग से दो लाख रुपए मिलते हैं। शादी के बाद से ही पत्नी व उसके घरवालों का व्यवहार बदल गया। पत्नी आए दिन गुस्सा करने लगी। वहीं बाद में जयपुर ट्रांसफर होने पर भी उसे प्रताड़ित किया। उसके सास-ससुर उसकी शादी एयरफोर्स की बडी अफसर से होना बताकर बडी कार खरीदने के लिए कहते। वह सितंबर 2022 में जयपुर आया तो उन्होंने कहा कि यदि उसने डिमांड पूरी नहीं की तो वे उसका तलाक करा देंगे। इस दौरान 26 जून 2023 को उसके छोटा बेटा हुआ। लेकिन पत्नी की रुपए की मांग जारी रही। उसे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया। वह 19 मार्च 2025 को जब एयरफोर्स स्टेशन बेटे से मिलने गया तो पत्नी व ससुर ने उससे पांच करोड रुपए व बीएमडब्ल्यू कार की मांग की और उसके बाद ही बेटे से मिलवाने के लिए कहा। परिवाद में कहा गया कि उसकी पत्नी व सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा है।